दिनांक 20.04.2016 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में नॉर्थ एवं साउथ बिहार में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में बिजली पदाधिकारियों, सभी जिला के जिला पदाधिकारियों एवं सभी प्रमण्डलीय आयुक्त के साथ सम्पन्न विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा गया मार्च 2016 में दोनों वितरण कम्पनियों में राजस्व वसूली की प्रतिशत सराहनीय है लेकिन अभी भी विद्युत खरोद के अनुपात में राजस्व प्राप्त नहीं हो रही है। कुछ जिलों से विपत्र में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है। इस सम्बन्ध में बताया गया कि मुख्य सचिव के स्तर से निर्गत पत्रांक 425 दिनांक 15.02.2016 में दिये गये निदेश के आलोक में एक Committee गठित कर गलत बिजली बिल की जाँच कराकर सुधार कराया जाय। राजस्व वृद्धि हेतु वडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के दौरान विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नांकित निदेश दिये गये :–

बिलिंग एवं राजस्व वसूली संबंधी निदेशः–

1. मुख्य सचिव के द्वारा अधिकांश जिलों में मीटर रीडिंग के प्रतिवेदन पर असंतोष व्यक्त किया गया। मीटर रीडिंग के अभाव में उपभोक्ताओं को एम0एम0सी0 पर विपत्र दिया जा रहा है। मुख्य सचिव के द्वारा सुझाव दिया गया कि एम0एम0सी0 की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जाय ताकि एम0एम0सी0 पर बिलिंग के स्थान मीटर रीडिंग पर बिलिंग attractive हो सके।
2. सभी विद्युत् कार्यपालक अभियन्ताओं को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक महीने के 15 तारीख को गलत विपत्र सुधार के लिए प्रमण्डल स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किया जाय। यदि 15 तारीख को किसी प्रकार का अवकाश रहता है तो उसके अगले कार्य दिवस को शिविर का आयोजन किया जाय।
3. आयोजित होने वाले इस शिविर के बारे में माननीय विधायकों, उनके प्रतिनिधियों एवं सभी विद्युत उपभोक्ताओं को भी जानकारी/सूचना दी जाय।
4. सम्बन्धित प्रमण्डल के विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता, राजस्व पदाधिकारी/सहायक विद्युत् अभियन्ता (राजस्व) एवं कनीय विद्युत् अभियन्ता (राजस्व) इस शिविर में सारे आवश्यक कागजातों के साथ उपस्थित रहकर उपभोक्ताओं का गलत विपत्र की जाँच कर उसका सुधार करेंगे।
5. अधिकांश जिलों में मीटर रीडिंग की हालात् अच्छी नहीं है, जिसके कारण एम0एम0सी0 पर बिलिंग हो रही है तथा शहरी क्षेत्रों में एवं अन्य जगहों पर NDS उपभोक्ताओं की भी बिलिंग नहीं हो रही है। निदेश दिया गया कि ऐसी नीति बनाई जाय जिसमें एम0एम0सी0 पर बिलिंग करना एक तरह से disincentive हो तथा सभी उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग के आधार पर बिलिंग किया जाय तथा सभी मीटरीकृत उपभोक्ताओं को बिलिंग सायकल में लाया जाय।
6. ऊर्जा विभाग को बिहार में सभी household की एक सूची तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया ताकि जानकारी मिल सके कि कितने घरों में बिजली पहुँचाई गई है और कितने घरों को अभी बिजली दी जानी है। इस कार्य में जिला प्रशासन का भी सहयोग प्राप्त किया जाय। इससे आगे की योजना बनाने में सहुलियत होगी और जानकारी मिल सकेगी कि भविष्य में कितने तार–पोल,

कितने मीटर, ट्रान्सफॉरमर, सब–स्टेशन बनाने या कितनी बिजली की आवश्यकता होगी।

7. आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में स्पर्शाघात से किसी व्यक्ति की मृत्यु हाने की स्थिति में उनके परिजनों को 4.00 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति भुगतान विद्युत कम्पनियों के द्वारा की जाय।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 ने निदेश दिया कि :–

8. मधेपुरा में बिलिंग प्रतिशत बहुत कम है। अतः मधेपुरा के विद्युत कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि बिलिंग प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।

9. खगड़िया के जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 33 प्रतिशत मीटर खराब है। बताया गया कि जितने मीटर लगे हुए हैं, उनका भी बिलिंग/रीडिंग नहीं हो रहा है। अतः सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि खराब मीटर को बदल दिये जाय और 100 बिलिंग कराया जाय।

10. दरभंगा जिले में राजस्व वसूली अच्छी हो रही है। विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि यदि किसी उपभोक्ताआ का औसत पर बिलिंग हो रहा है तो वहाँ कनीय विद्युत् अभियन्ता को भेजकर उसकी रीडिंग करवाई जाती है। सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को इसी तरह का पहल करने का निदेश दिया गया।

11. कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को भी मीटरीकृत कर वास्तविक बिजली खपत के आधार पर बिलिंग कराया जाय।

12. साउथ बिहार में पटना शहर को छोड़कर बाकी अन्य जगहों में बिलिंग 35 प्रतिशत है। सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं से बिलिंग प्रतिशत बढ़ाने का निदेश दिया गया।

13. जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में चकाई में RRF नहीं मिल रहा है। निर्देश दिया गया कि RRF नहीं मिलने के कारणों की समीक्षा किया जाय और इसकी बहाली की दिशा में कार्रवाई की जाय।

14. IPDS एवं DDUGJY के अन्तर्गत लगभग 450 पावर सब–स्टेशन बनाया जाना है। यह Time Bound Scheme है। जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि उक्त कार्य हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध कराया जाय। जहाँ सरकारी जमीन नहीं है, वहाँ नई भू–अर्जन नीति के तहत निजी जमीन की राशि नियमानुसार भुगतान कर संबंधित विद्युत कम्पनियों के द्वारा जमीन प्राप्त किया जायेगा।

प्रबंध निदेशक, नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा बताया गया कि:–

15. परियोजनाओं के अन्तर्गत जर्जर तार बदले जा रहे हैं, परन्तु यदि किसी स्थान पर जर्जर तार बदलने की शीघ्र आवश्यकता है तो विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता द्वारा Site inspection कर आवश्यकतानुसार निदेशक (परियोजना एवं संचालन) से सम्पर्क स्थापित कर जर्जर तार को बदला दिया जाय।

16. थ्री फेज मीटर की माँग बढ़ती जा रही है। निदेशक (परियोजना/संचालन) को निदेश दिया गया कि पर्याप्त मात्रा में थ्री फेज मीटर आपूर्ति कर दी जाय।

17. बताया गया कि 67 शहरों में Spot Billing शीघ्र शुरु हो रहा है। RRF को भी Mobile Application से बिलिंग करना है। निदेश दिया गया कि सभी खराब मीटर को शीघ्र बदल दिये जायें और जहाँ मीटर नहीं लगे हैं, वहाँ मीटर स्थापित कराया जाय।

18. प्रबन्ध निदेशक द्वारा बताया कि जहाँ emergency है, वहाँ BRGF Scheme से कार्य कराया जाय। आवश्यकता हो तो निदेशक (प्रोजेक्ट्स/ऑपरेशन) से भी सम्पर्क स्थापित किया जाय।

प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा बताया गया किः–

19. बेगुसराय में एक 40 MVA का और सीवान में एक 20 MVA का ट्रान्सफॉरमर स्थापित किया जा रहा है। यह मई 2016 तक चालू कर दिया जायेगा। इससे विद्युत् आपूर्ति की दिशा में और low voltage की समस्या से निजात मिलेगी।

20. प्रबन्ध निदेशक, संचरण द्वारा बताया गया कि महलगाँव एवं जोकीहाट में ROW है। इस समस्या को दूर करने हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया।

<u>विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा उठायी गयी समस्याः</u>

21. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया कि मथुरापुर में प्रोजेक्ट के कनीय विद्युत् अभियन्ता कम्पनी की सेवा छोड़कर चले गये हैं। यहाँ एक कनीय विद्युत् अभियन्ता (प्रोजेक्ट) का पदस्थापन करने की आवश्यकता है।

22. जिला पदाधिकारी, कटिहार ने कहा कि कटिहार जिले में कोढ़ा और बलिरामपुर में कनीय विद्युत् अभियन्ता, आपूर्ति का पदस्थापन किया जाय।

23. जिला पदाधिकारी, वैशाली ने कहा कि बिदुपुर में एक कनीय विद्युत् अभियन्ता के पदस्थापन करने हेतु अनुरोध किया गया क्योंकि पिछले एक वर्ष से यह पद खाली है।

24. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मधेपुरा में 4 ब्लॉक हैं और एक ही सेक्शन है। अतः उनके द्वारा सेक्शन बढ़ाने का अनुरोध किया गया।

25. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उदाकिशुनगंज में दो Bay हैं एवं दो अतिरिक्त Bay की आवश्यकता है।

26. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अनुरोध किया गया कि कम–से–कम दो कनीय विद्युत् अभियन्ता (राजस्व) का पदस्थापन मधेपुरा में किया जाय।

27. जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा dedicated staff की कमी बतायी गयी तथा दो कनीय लेखा लिपिक एवं एक कनीय विद्युत् अभियन्ता (राजस्व) का पदस्थापन हेतु अनुरोध किया गया। निर्देश दिया गया कि जिले में सेवा–निवृत्त लेखा कर्मचारी को तीन महीने के लिए अनुबंध पर रख लिया जाय।

28. बक्सर में एक कनीय विद्युत् अभियन्ता के पदस्थापन हेतु अनुरोध किया गया। कुछ कनीय विद्युत् अभियन्ता को inter-section transfer करने की आवश्यकता बतायी गयी एवं Fabricated material की कमी के बारे में भी कहा गया।

29. बक्सर शहरी क्षेत्र में A 2 Z Agency का काम बिल्कुल बन्द है। निर्देशक (परियोजना) को निर्देश दिया गया कि BRGF Scheme से कार्य कराया जाय।

30. जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा बताया गया कि 33 KVA लाईन में 20 किलोमीटर तार बदलने की आवश्यकता है।

31. बताया गया कि ऑफिस क्लर्क एवं कनीय लेखा लिपिक की बहाली की प्रक्रिया दो–तीन महीने के अन्दर कर ली जायेगी और आवश्यकतानुसार सभी जगह पदस्थापन कर दिया जायेगा। इसके लिए मांग पत्र मुख्यालय को भेज दी जाय।

32. जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा बताया गया कि हिलसा (शहरी) एवं बिहारशरीफ (शहरी–2) में एक–एक कनीय विद्युत् अभियन्ता का पदस्थापन किया जाय। Reconductoring के लिए fabricated material की आवश्यकता भी बतायी गयी।

33. जिला पदाधिकारी, कैमूर ने सहायक विद्युत् अभियन्ता, कुदरा को हटाने की माँग की। भभुआ में एक कनीय विद्युत् अभियन्ता और एक कनीय लेखा लिपिक के पदस्थापन करने की आवश्यकता बताई गई। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ तार टूटने के कारण आगे लगने की घटना में वृद्धि हुई है। Covered wire or wire shifting की आवश्यकता है।

34. जिला पदाधिकारी, जहानाबाद ने बताया एक सहायक विद्युत् अभियन्ता (राजस्व) अथवा राजस्व पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाय। Energo Agency द्वारा जिस ठेकेदार से काम करवाया जाता है, उसे पैसा नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ कार्य बाधित है।

35. जिला पदाधिकारी, किशनगंज ने कहा कि बहादुरगंज में एक सहायक विद्युत् अभियन्ता की आवश्यकता है। मे० गोपीकृष्णा के पास स्टाफ की कमी है। फलस्वरुप, कहीं–कहीं काम शुरु ही नहीं हुआ है। बताया गया कि उस एजेंसी के प्रबन्ध निदेशक से बात की जायेगी।

36. जिला पदाधिकारी, सासाराम द्वारा बताया गया कि बिक्रमगंज और कोचस में बिलिंग का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है। विद्युत कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त स्थानों का बिलिंग 100 प्रतिशत किया जाय।

37. जिला पदाधिकारी, गया द्वारा बताया गया कि 53 प्रतिशत उपभोक्तों को मीटर की आपूर्ति की गई है, परन्तु वे मीटर नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि उनके पास तार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। विद्युत कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि जो उपभोक्ता पैसे के अभाव में सर्विस तार नहीं खरीद पा रहे हैं, उन्हें बिजली कम्पनी Policy बनाकर तार खरीद कर कनेक्शन दिया जाय और मासिक किस्तों में तार का पैसा उनसे वसूल किया जाय।

38. बाढ़ प्रमण्डल में 24 प्रतिशत बिलिंग हो रही है। लखीसराय जिले में भी 24 प्रतिशत बिलिंग हो रही है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 72000 उपभोक्ताओं में से 5000 उपभोक्ताओं के मीटर खराब हैं और 7000 उपभोक्ता बिना मीटर के हैं। IKYA को बिलिंग करने के लिए दिया गया है, किन्तु उनके द्वारा रीडिंग नहीं किया जा रहा है।

39. सभी जिला पदाधिकारी और बिजली कम्पनी के पदाधिकारी को RRF के साथ बैठक करने का अनुरोध किया गया। यदि betterment के लिए Policy में कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो तो उसे बदल दिया जाय। यदि किसी एरिया में खराब performance है तो उसके लिए दूसरी Policy बनाई जाय।

40. जिलाधिकारी, जमुई द्वारा बताया गया कि 33 KV लाईन का किउल में River Crossing है। इसके लिए Tower बनाने की आवश्यकता है। बताया गया कि मुख्यालय स्तर से इसका समाधान किया जा रहा है।

ह0/–

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांकः– प्र02/विविध/वि0को0–18/13
पटना, दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः– सभी प्रधान सचिव/सचिव/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के उप सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– प्र02/विविध/वि0को0–18/13 1941 पटना, दिनांकः– 14/02/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/2/16

सरकार के उप सचिव।